भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1152

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

सरफेसी अधिनियम

1152. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के नाम पर अतिदेय ऋणदाताओं के कॉफी बागानों की नीलामी कर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कॉफी उत्पादकों द्वारा अपने ऋण चुकाने के विलंब होने पर ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया को छोड़ने के अनुरोध का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुबई के व्यापारी ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करके कर्नाटक के चिक्कमंग्लुरु जिले में कॉफी बागानों का अनुचित शोषण कर रहे हैं, जिससे कॉफी उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है;

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरफेसी अधिनियम के नाम पर ऑनलाइन नीलामी को रोककर कॉफी बागानों के बकाया ऋण वसूलने में किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 31(i) कृषि भूमि में सृजित किसी भी प्रतिभूति हित पर सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू होने से रोकती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक) और तत्कालीन इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) की सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली कार्रवाई को उधारकर्ताओं अर्थात (1) श्री यू.एम.रमेश राव, मेसर्स विजयदेवन कॉफी एस्टेट और मेसर्स येलिकुडिगे एस्टेट के भागीदार; और (2) मेसर्स एसएसजेवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक श्री मनोहर शेट्टी द्वारा क्रमशः रिट याचिका संख्या 12461/2020 और डब्ल्यू पी. सं.13932/2015 दायर करके चुनौती दी गई थी। इन दोनों रिट याचिकाओं को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.11.2020 और 14.11.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। खारिज करने के आदेश के विरूद्ध, इन याचिकाकर्ताओं ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के सामने रिट याचिका दायर की, इस आधार पर कि कॉफी बागान सरफेसी अधिनियम की धारा 31(i) के अंतर्गत खेती की ज़मीन है और इसलिए, यह अधिनियम कॉफी बागान पर लागू नहीं होता है।

सरफेसी अधिनियम के तहत इन बैंकों की कार्रवाई को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 29.1.2021 के एक सामान्य निर्णय के माध्यम से बरकरार रखा है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह माना गया है कि, "सरफेसी अधिनियम की धारा 31(i) में 'कृषि भूमि' की अभिव्यक्ति में वह भूमि शामिल नहीं है, जिस पर

बागान फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि इलायची, कॉफी, काली मिर्च, रबड़ और चाय, जैसा कि भूमि सुधार अधिनियम (कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961) की धारा 2(क)(25) में परिभाषित किया गया है। इसलिए, इन अपीलों में कॉफी बागानों के संबंध में प्रतिवादी बैंकों द्वारा शुरू किए गए उपाय सरफेसी अधिनियम की धारा 31 (i) से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि उक्त अधिनियम उस भूमि पर लागू होता है जिस पर कॉफी बागान सहित बागान फसलें उगाई जाती हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 29.1.2021 के निर्णय को याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई है। श्री यूएम रमेश राव के मामले में दायर एसएलपी को 11.8.2023 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक नहीं लगाई गई है और यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, क्योंकि एसएसजेवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज एसएलपी अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(ख): केन्द्र सरकार सरफेसी अधिनियम, 2002 को प्रशासित करती है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय/अधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना उधारकर्ता/गारंटर की प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करके एक लाख रुपए से अधिक की अपनी देय राशियों की वसूली करने की अनुमति देती है। सरकार बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के वाणिज्यिक निर्णयों अथवा वसूली कार्यवाहियों में शामिल नहीं है।

(ग) और (घ): वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि कॉफी बोर्ड को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): किसी भी प्रतिभूत लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत लेनदार की कार्रवाई के विरुद्ध ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए) दाखिल कर सकता है।

*****